



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail : eepwdkapkot@rediffmail.com

Ph./ Fax No. - 05963.253385 (O)

पत्रांक 148 / 25

दिनांक 24 / 01 / 2019

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग बागेश्वर।

विषय:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में दूणी सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार सोमाकुण्ड तक 8.00 किमी मोटर मार्ग (प्रस्ताव सं0 27337 / 2017)

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून के EDS dated 29-12-2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तियाँ लगायी गयी हैं उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं0	लगायी गयी आपत्तियाँ	आख्या
1	Same documents has been uploaded at section MoU and non encumbrance details at section L (iv-g,h) in form A, part I.	Re-uploaded at the place of Non-Encumbrance certificate in Column L (iv) of Form A, part I regarding certificate rectify accordingly.

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
कपकोट

2.10(a)

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8:680 हे० ग्राम ~~बादियाकोट~~ सिविल में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी है। वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वनक्षेत्राधिकारी
बागेश्वर उप विभाग
(कपकोट)

ह० 
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर


वन प्रभागीय वनाधिकारी
कपकोट

2.10(b)

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटरमार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

□

सिविल सोयम भूमि पर वृक्षारोपण की निरीक्षण टिप्पणी रिपोर्ट एवं उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण में 1.260 है० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत 2.100 है० एवं 0.980 है० आरक्षित भूमि कुल 4.340 है० भूमि मार्ग निर्माण कार्य एवं मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित है। इस क्षेत्रफल के दुगने अवनत सिविल भूमि पर ग्राम बदियाकोट के श्रेणी 9(3)ख के वन मध्ये 8.680 है० सिविल भूमि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। यह भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 9(3)ख में भूमि दर्ज है। जो पटवारी क्षेत्र-बदियाकोट, तहसील-कपकोट, जिला-बागेश्वर के नियंत्रणाधीन है।

शासनादेश संख्या 883(i)/x-3/2011/8(21)/2010 दिनांक 4 अक्टूबर, 2011 के पश्चात शासनादेश संख्या 2882 viii(2)/11-18 (120)/2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के निर्देशानुसार प्रस्तावित उक्त सिविल सोयम भूमि जिसका परीक्षण राजस्व उप निरीक्षक बदियाकोट द्वारा दिनांक 11.03.2017 को किया जा चुका है मौके पर प्रस्तावित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु इस भूमि पर किसी भी प्रकार के इमारती आदि के वन नहीं है तथा वन स्वरूप नहीं है।

अतः उपरोक्त सिविल सोयम भूमि वन स्वरूप न होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


District Magistrate
Bageshwar
District Magistrate
Bageshwar
District Magistrate
Bageshwar
District Magistrate
Bageshwar

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग का नव निर्माण के स्थल निरीक्षण कर पाया गया कि प्रस्तावित संरक्षण पर वृक्ष खड़े मौजूद हैं जिनकी गणना प्रस्ताव विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त निरीक्षण निरीक्षण के समय की जा चुकी है। अतः शा०सं० 866/x-3/2011/8(21)/2010 दिनांक 28.09.2011 तथा 883/x-3/2011/8(21)/2010 दिनांक 04.01.2011 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार उपरोक्त सिविल/वन पंचायती भूमि राजस्व अभिलेखों श्रेणी ८(3) डी. व १०(4) में दर्ज कागजात है। एवं वनभूमि में वृक्ष खड़े होने एवं वृक्षों का स्वरूप वन होने के कारण इस प्रस्तावित सिविल भूमि का भूमि हस्तान्तरण नियमानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत आवश्यक है।

अतः याचक विभाग प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव वन अधिनियम 1980 के अन्तर्गत रवीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है।


Sub Divisional Magistrate
Kapkote


Sub Divisional Magistrate
Kapkote


Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)


Sub Divisional Magistrate
Kapkote
20/06/17